भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3317

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

राज्यीय नदी जल विवाद

3317. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए विद्यमान विधिक और संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम में संशोधनों सहित जल विवाद अधिकरणों के समयबद्ध गठन और कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधार किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में अधिकरणों या अन्य मंचों के समक्ष लंबित राज्यीय जल विवादों की संख्या कितनी है और उनके समाधान में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ऐसे विवादों के त्वरित, पारदर्शी और सहकारी समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी अधिकरण स्थापित करने या वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के निपटान के लिए वैधानिक तंत्र प्रदान करता है। जब अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी जल विवाद के संबंध में किसी राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(ग) में परिभाषित है, और केंद्र सरकार का मत है कि जल विवाद बातचीत द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है, तो केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 4(1) के तहत जल विवाद के निपटान के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करती है।

न्यायाधिकरण को सौंपे गए मामलों की जांच और विवादों का निपटान करता है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय के समान शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 6क में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार न्यायाधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एक योजना बना सकती है, जिसमें ऐसे निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना भी शामिल हो सकती है।

(ख): अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को समय-समय पर संशोधित किया गया है ताकि अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के निपटान के तंत्र को मजबूत किया जा सके। इसके अनुरूप, वर्ष 2002 में आवश्यक संशोधन किया गया था, ताकि विवाद के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित की जा सकें। ये समय-सीमा अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट की गई हैं।

(ग): वर्तमान में, चार अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, अर्थात् कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण -II, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण और रावी एवं व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण, सह बेसिन राज्यों के बीच विवादों के निपटान के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही के निर्णय में पेननियार बेसिन में न्यायाधिकरण के गठन का आदेश दिया है। इस प्रकार के जल विवादों के समाधान में लगने वाला समय संदर्भ/समस्याओं की जटिलता, न्यायाधिकरण के समक्ष पक्ष राज्य द्वारा प्रस्तुत दलीलों, और अन्य कई संबंधित कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए, ऐसे विवादों के समाधान के लिए कोई निश्चित या औसत समय नहीं बताया जा सकता।

(घ): स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालाँकि, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे 17वीं लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ संस्थागत सुधार प्रस्तावित किए थे। इनमें स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना, विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए विवाद समाधान समिति का गठन, और समयबद्ध निपटान के प्रावधान शामिल थे। 17वीं लोक सभा के भंग होने के साथ, यह विधेयक समाप्त (लाप्स) हो गया।

*****